न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी—उम्मेदसिह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—264 / 2019
राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

1. हरप्रीत सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख साकिन पक्का कलां तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा (पंजाब)।
2. गुरप्रीत सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख साकिन पक्का कलां तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा (पंजाब)। —वादीगण

बनाम

1. परमजीत कौर पत्नी बलजीत सिंह जाति जटसिख साकिन पक्का कलां तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा (पंजाब)
2. कर्मजीत कौर पुत्री सन्ता सिह उर्फ जसवन्त सिह पत्नी अवतार सिंह जाति जटसिख सा.हररायपुर (तीन कोणी)तह. व जिला बठिण्डा।
3. सुखपाल कौर पुत्री सन्ता सिंह उर्फ जसवन्त सिंह पत्नी जसपाल सिंह जाति जटसिख सा. फतेहगढ नौ बाद तह. तलवन्डी साबो जिला बठिण्डा।
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया —प्रतिवादीगण

उपस्थितः— 1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु एडवोकेट वादीगण
2. श्री गुरमीत सिंह कलसी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

निर्णय दिनांकः—16.10.2019

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रति स. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। हमारे परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 के मुताबिक है। चक 9 आई.डी.जी. खाता स. 87 / 79 खाता सरजीत सिह वगैरा ज.स. 2068—71 में सन्तासिह पुत्र जुहारा सिह के नाम 0.885 है0 आराजी एवं चक 12 पी.टी.पी. खाता स.67 / 69 खाता सन्ता सिह ज.स. 2068—71 में सन्ता सिह पुत्र जवाहर सिह के नाम 1.721 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो कि वादीगण की जद्दी जायदाद है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी सन्ता सिंह उर्फ जसवन्त सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सन्ता सिंह उर्फ जसवन्त सिंह फौत हो गये है,जिनके वारिस उनके पुत्र बलजीत सिंह व उनकी पत्नी रणजीत कौर उर्फ गुलाब कौर व प्रति स. 2 व 3 ही है। बलजीत सिंह एवं रणजीत कौर उर्फ गुलाब कौर फौत हो गये है। बलजीत सिंह के वारिस वादीगण व प्रति स. 1 ही है। अतः सन्ता सिह उर्फ जसवन्त सिह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण व प्रति स. 1 ता 3 ही हकदार है। किन्तु प्रति स. 1 ता 3 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है। अतः उक्त आराजी के वादीगण ही खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे

टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये । प्रति स. 1 ता 3 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रति स. 4 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी गुरप्रीत सिंह वादी सं. 2 का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी चक 9 आई.डी.जी. खाता स. 87/79 ज.स. 2068–71 प्रदर्श–1,नकल जमाबन्दी चक 12 पी.टी.पी. खाता स. 69/18 ज.स. 2064–67 प्रदर्श–2,प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पक्का कलां वारिसनामा सन्ता सिह उर्फ जसवन्त सिह पुत्र जवाहर सिह प्रदर्श–3,प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पक्का कलां वारिसनामा बलजीत सिंह पुत्र सन्ता सिंह उर्फ जसवन्त सिंहप्रदर्श–4,मृत्यु प्रमाण पत्र जसवन्त सिह प्रदर्श–5,मृत्यु प्रमाण पत्र बलजीत सिंह प्रदर्श–6,मृत्यु प्रमाण पत्र गुलाब कौर उर्फ रणजीत कौर प्रदर्श–7 करवाये गये। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद वादीगण डिग्री किया जावे। जवाबदावा के साथ समस्त पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश की जिन्हे शामिल मिसल किया गया।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा जरिये जवाबदावा के स्वीकार किया गया है, वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में वादीगण द्वारा सन्तासिंह उर्फ जसवन्तसिंह के नाम की उपर्युक्त चकों की जमाबन्दी की प्रतियां पेश की जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से तथा सहमति जवाबदावा,वारिसान तस्दीक के आधार वाद वादीगण साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। मुताबिक वारिसान तस्दीक के वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में चक 9 आई.डी.जी. खाता स. 87/79 खाता सरजीत सिह वगैरा ज.स. 2068–71 में सन्तासिह पुत्र जुहारा सिह के नाम 0.885 है0 आराजी एवं चक 12 पी.टी. पी. खाता स.67/69 खाता सन्ता सिह ज.स. 2068–71 में स्व.सन्ता सिंह पुत्र जवाहर सिंह के नाम 1.721 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो वादीगण बहिब आराजी मुताबिक घरू बंटवारा हिस्सा में आई है जिसका पैतृक सम्पति साक्ष्य स्व.सन्तासिंह उर्फ जवाहरसिंह के नाम की प्रमाणित जमाबन्दी प्रतियां पेश की एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाबदावा पेश कर अपना–अपना हक त्याग वादीगण के पक्ष में किया है,वारिसान तस्दीक मूल प्रति पेश की है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर साबित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के डिग्री किया जाता है कि चक 9 आई.डी.जी. खाता स. 87/79 खाता सरजीत सिंह वगैरा ज.सं. 2068–71 में सन्तासिंह पुत्र जुहारा सिंह के नाम 0.885 है0 आराजी एवं चक 12 पी.टी.पी. खाता सं. 67/69 खाता सन्ता सिंह ज.स. 2068–71 में सन्ता सिंह पुत्र जवाहर सिह के नाम 1. 721 है0 आराजी के वादीगण को ब.हि..ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता

है। उक्त खातों में से सन्ता सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रिकार्ड में सन्तासिंह के नाम से दर्ज दोनों खातों की आराजी वादीगण के नाम से बहिब दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

`

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–264 / 2019

1 हरप्रीत सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख साकिन पक्का कलां तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा (पंजाब)।
2. गुरप्रीत सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख साकिन पक्का कलां तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा (पंजाब)। –वादीगण

बनाम

1. परमजीत कौर पत्नी बलजीत सिंह जाति जटसिख साकिन पक्का कलां तहसील तलवंडी साबो जिला बठिण्डा (पंजाब)
2. कर्मजीत कौर पुत्री सन्ता सिह उर्फ जसवन्त सिह पत्नी अवतार सिंह जाति जटसिख सा.हररायपुर (तीन कोणी)तह. व जिला बठिण्डा।
3. सुखपाल कौर पुत्री सन्ता सिंह उर्फ जसवन्त सिंह पत्नी जसपाल सिंह जाति जटसिख सा. फतेहगढ नौ बाद तह. तलवन्डी साबो जिला बठिण्डा।
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया –प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एड. वादीगण व गुरमीत सिंह कलसी एड. प्रति स. 1 ता 3 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिग्री किया जाता है कि चक 9 आई.डी.जी. खाता स. 87 / 79 खाता सरजीत सिंह वगैरा ज.सं. 2068–71 में सन्तासिंह पुत्र जुहारा सिंह के नाम 0.885 है0 आराजी एवं चक 12 पी.टी.पी.खाता सं. 67 / 69 खाता सन्ता सिंह ज.स. 2068–71 में सन्ता सिंह पुत्र जवाहर सिह के नाम 1.721 है0 आराजी के वादीगण को ब.हि..ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खातों में से सन्ता सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रिकार्ड में सन्तासिंह के नाम से दर्ज दोनों खातों की आराजी वादीगण के नाम से बहिब दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज....निल....मुब्लिक.....निल...बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.10.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी—उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—266 / 2019
राजस्व वाद अर्न्तगत धाराः— 88 आर.टी.ए.

1.कुलदीप सिह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख सा .भगतपुरा तह. संगरिया ।
2.हरदीप सिंहपुत्र केहर सिंह जाति जटसिख सा .भगतपुरा तह. संगरिया ।
—वादीगण

बनाम

1.केहर सिंह पुत्र चूहड सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया
2.तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया। —प्रतिविादीगण

उपस्थितः— 1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु एडवोकेट वादीगण
2. श्री चरणजीत सिंह सिद्धु एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय दिनांकः—

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण के पिता के नाम चक 1 आर.टी.पी. खाता सं. 41 / 13 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2071—74, चक 1 एन.टी.डब्ल्यू खाता स. 9 / 5 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2070—73, चक 9 बी.जी.पी. बी खाता सं. 26 / 16 खाता कुलवीर सिंह वगैरा ज.स. 2070—73 चक 2 एन.टी.डब्ल्यू (ए) खाता सं. 11 / 16 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2070—73 चक 4 एन.टी.डब्ल्यू खाता सं. 57 / 16 खाता मेहरसिंह वगैरा ज.स. 2072—75 चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 34 / 29 खाता चूहड सिह ज.सं. 2069—72 चक 14 बी.जी.पी. खाता स. 83 / 18 खाता करनैल कौर वगैरा ज.सं.2071—74 एवं चक 12 बी.जी.पी.खाता सं.22 / 16 खाता गुरदयाल कौर वगैरा ज.सं. 2069—72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो कि हमारी जद्दी जायदाद है।

दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स0 1 केहर सिंह पुत्र चूहड सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति सं. 1 के नाम दर्ज आराजी में वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। प्रति सं. 1 ने अपने नाम समस्त आराजी का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब.के हिसाब से कर दिया है। अतः उक्त आराजी में प्रति सं. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 3 के मुताबिक दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीगण को दावा की दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में दावा दायरी से एक सप्ताह पहले प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये । प्रति सं. 1 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया जिसके साथ आईडी की चित्रप्रति साथ संलग्न की है जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रति सं. 2 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कुलदीप सिह वादी सं. 1 का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी चक 1 आर.टी.

पी. खाता सं.41/13 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2071–74 प्रदर्श–1, चक 1 एन. टी.डब्ल्यू खाता स. 9/5 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 प्रदर्श–2, चक 9 बी.जी.पी.बी खाता सं. 26/16 खाता कुलवीर सिंह वगैरा ज.स. 2070–73 प्रदर्श–3, चक 2 एन.टी.डब्ल्यू (ए) खाता सं. 11/16 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 प्रदर्श–4, चक 4 एन.टी.डब्ल्यू खाता सं. 57/16 खाता मेहरसिंह वगैरा ज.सं. 2072–75 प्रदर्श–5, चक 13 बी.जी.पी. खाता सं. 34/29 खाता चूहड सिंह ज.सं. 2069–72 प्रदर्श–6, चक 14 बी.जी.पी. खाता स. 83/18 खाता करनैल कौर वगैरा ज.सं.2071–74 प्रदर्श–7, एवं चक 12 बी.जी.पी.खाता सं.22/16 खाता गुरदयाल कौर वगैरा ज.सं. 2069–72 प्रदर्श–8 करवाये गये। पैतृक सम्पति साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता चूहड़सिंह के नाम की पर्चा खतौनी चक नं. 2 एनटीडब्ल्यू, प्रदर्श–9, चक नं. 1 आरटीपी प्रथम प्रदर्श–10,चक नं. 1 एनटीडब्ल्यू प्रदर्श–1व ए, चक नं.4 एनटीडब्ल्यू प्रदर्श–11, वक नं.13 बीजीपी प्रदर्श–12,चक नं.12 बीजीपी प्रदर्श–13,चक नं.14 बीजीपी प्रदर्श–14,चक नं. 9 बीजीपी बी प्रदर्श–9, कार्यालय ग्राम पंचायम भगतपुरा से केहरसिंह का वारिस प्रमाण–पत्र प्रदर्श–16 करवाये गये। उपर्युक्तानुसार दस्तावेजात प्रदर्श करवाये जाकर पैतृक सम्पति साक्ष्य के आधार पर वाद वादीगण डिग्री किया जावे।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये जवाब दावा के स्वीकार किया गया है, वादीगण के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में वादीगण द्वारा प्रतिवाादी संख्या 1 के पिता चूहड़सिंह के नाम की उपर्युक्त चकों की जमाबन्दी की प्रतियां पेश की जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से तथा सहमति जवाब दावा,वारिसान तस्दीक के आधार वाद वादीगण साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। मुताबिक वारिसान तस्दीक के वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता के नाम चक 1 आर.टी.पी. खाता सं.41/13 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2071–74, चक 1 एन.टी.डब्ल्यू खाता स. 9/5 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73, चक 9 बी.जी.पी.बी खाता सं. 26/16 खाता कुलवीर सिंह वगैरा ज.स. 2070–73 चक 2 एन.टी.डब्ल्यू (ए) खाता सं. 11/16 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 चक 4 एन.टी.डब्ल्यू खाता सं. 57/16 खाता मेहरसिंह वगैरा ज.स. 2072–75 चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 34/29 खाता चूहड सिह ज.सं. 2069–72 चक 14 बी.जी.पी. खाता स. 83/18 खाता करनैल कौर वगैरा ज.सं.2071–74 एवं चक 12 बी.जी.पी.खाता सं.22/16 खाता गुरदयाल कौर वगैरा ज. सं. 2069–72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो वादीगण बहिब आराजी मुताबिक घरू बंटवारा हिस्सा में आई है जिसका पैतृक सम्पति साक्ष्य स्व.चूहड़सिंह के नाम की उपर्युक्त चकों की पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रतिया पेश की है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाबदावा पेश कर अपना हक त्याग वादीगण के पक्ष में किया है,वारिसान तस्दीक मूल प्रति पेश की है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर साबित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादीगण डिग्री किया जाता है कि चक 1 आर.टी.पी.खाता सं. 41/13 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2071–74, चक 1 एन.टी.डब्ल्यू खाता सं. 9/5 खाता मेहर

सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73, चक 9 बी.जी.पी.बी खाता सं. 26/16 खाता कुलवीर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73, चक 2 एन.टी.डब्ल्यू (ए) खाता सं. 11/16 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73, चक 4 एन.टी. डब्ल्यू खाता सं. 57/16 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2072–75, चक 13 बी.जी.पी.खाता सं. 34/29 खाता चूहड सिंह ज.सं. 2069–72, चक 14 बी.जी.पी.खाता सं. 83/18 खाता करनैल कौर वगैरा ज.सं. 2071–74, एवं चक 12 बी.जी.पी. खाता सं.22/16 खाता गुरदयाल कौर वगैरा ज.सं. 2069–72 में प्रति सं. 1 केहर सिंह पुत्र चूहड सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हि..ब. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खातों से प्रति सं. 1 केहर सिंह पुत्र चूहड सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम से ब.हि. ब. दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–266 / 2019

1.कुलदीप सिह पुत्र केहर सिंह जाति जटसिख सा .भगतपुरा तह. संगरिया ।
2.हरदीप सिंहपुत्र केहर सिंह जाति जटसिख सा .भगतपुरा तह. संगरिया ।

–वादीगण

बनाम

1.केहर सिंह पुत्र चूहड सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया
2.तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया। –प्रतिविादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एड. वादीगण व चरणजीतसिंह सिद्धू एड. प्रति सं. 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिग्री किया जाता है कि है चक 1 आर.टी.पी.खाता सं. 41 / 13 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2071–74, चक 1 एन.टी.डब्ल्यू खाता सं. 9 / 5 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73, चक 9 बी.जी.पी.बी खाता सं. 26 / 16 खाता कुलवीर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73, चक 2 एन.टी.डब्ल्यू (ए) खाता सं. 11 / 16 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73, चक 4 एन.टी. डब्ल्यू खाता सं. 57 / 16 खाता मेहर सिंह वगैरा ज.सं. 2072–75, चक 13 बी.जी.पी.खाता सं. 34 / 29 खाता चूहड सिंह ज.सं. 2069–72, चक 14 बी.जी.पी.खाता सं. 83 / 18 खाता करनैल कौर वगैरा ज.सं. 2071–74, एवं चक 12 बी.जी.पी. खाता सं.22 / 16 खाता गुरदयाल कौर वगैरा ज.सं. 2069–72 में प्रति सं. 1 केहर सिंह पुत्र चूहड सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हि..ब. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खातों से प्रति सं. 1 केहर सिंह पुत्र चूहड सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम से ब. हि.ब. दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज....निल....मुब्लिक.....निल...बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी—उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—155/2019
राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—88 आर.टी.ए.

1.ऋशु पुत्र गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया ना.ज.कु.बली माता चरणजीत कौर पत्नि गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़। —वादी

बनाम

1 गुरसेवक सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया।
2 गगनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
3 सन्दीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
4 रमनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
5 सतवीर कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
6 इन्द्रजीत कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
7 शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैक शाखा सादुलशहर तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया। —प्रतिवादीगण

उपस्थितः— 1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु एडवोकेट वादीगण
2. श्री गुरमीत सिंह कलसी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

निर्णय दिनांकः—

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी एवं. प्रति सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।

वादी के पिता प्रति सं.1 के नाम चक 27 ए.एम.पी. खाता सं 45/47 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 610 दिनांक 3—5—18 ज.सं. 2068—71 में तथा चक 25/1 ए.एम.पी.खाता सं. 44/109 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 674 दिनांक 3—5—2018 ज.सं. 2069—72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति सं.1 गुरसेवक सिंह पुत्र भूरा सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिनके वारिसान उनके पुत्र वादी व प्रति सं. 2 ता 6 ही है। उक्त आराजी में वादी व प्रति सं. 2 ता 6 का उनके पिता प्रति सं. 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है, किन्तु प्रति सं. 1 ता 6 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है।

अतः उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रति सं. 1 ता 6 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये । प्रति स. 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता अपनी–अपनी सहमति का जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रति सं.8 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 7 बावजूद तामील होने हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब दावा के साथ समस्त पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां पेश की गई जिन्हे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी ऋशु पुत्र गुरसेवक सिंह के नाबालिग होने के करण उनकी माता चरणजीत कौर का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबनदी चक 27 ए.एम. पी.खाता सं. 45/47 ज.सं.2068–71 प्रदर्श–1 व जमाबन्दी चक 25/1 ए.एम.पी. खाता सं. 44/109 ज.सं. 2069–72 प्रदर्श–2 करवाई गई। की।दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दीया पेश की है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 25/1 खाता संख्या 58 जमाबन्दी सम्वत् 2045 भूरासिंह पुत्र सरबनसिंह प्रदर्श–3,चक नं. 27 एएमपी खाता संख्या 58 जमाबन्दी सम्वत् 2048 भूरा पुत्र सरबन प्रदर्श–4, पेश की व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज विरास्तन नामान्तरण की जमाबन्दी नकलें भी पेश की जिन्हे शामिल मिसल किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 जा 6 द्वारा जरिये जवाब दावा के स्वीकार किया गया है, वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में वादी द्वारा प्रतिवाादी संख्या 1 के पिता भूरासिंह व स्वयं के नाम से विरास्तन नामान्तरण दर्ज की उपर्युक्त चकों की जमाबन्दी की प्रतियां पेश की जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से तथा सहमति जवाब दावा,वारिसान तस्दीक के आधार वाद वादी साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। मुताबिक वारिसान तस्दीक के वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 27 ए.एम.पी. खाता सं 45/47 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 610 दिनांक 3–5–18 ज.सं. 2068–71 में तथा चक 25/1 ए.एम.पी.खाता सं. 44/109 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 674 दिनांक 3–5–2018 ज.सं. 2069–72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो वादी मुताबिक घरू बंटवारा हिस्सा में आई है जिसका पैतृक सम्पति साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भरासिंह सरबनसिंह के नाम की उपर्युक्त चकों की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां पेश की है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाब दावा पेश कर अपना हक त्याग वादी के पक्ष में किया है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद

वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर साबित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादी डिग्री किया जाता है कि चक 27 ए.एम.पी. खाता सं. 45/47 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 610 दिनांक 3–5–18 ज.सं. 2068–71 में तथा चक 25/1 ए.एम.पी. खाता स. 44/109 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 674 दिनांक 3–5–2018 ज.सं. 2069–72 में प्रति सं.1 के नाम दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार वादी ऋशु पुत्र गुरसेवक सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त आराजी में से प्रति सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–155 / 2019

1. ऋशु पुत्र गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया ना.ज.कु. बली माता चरणजीत कौर पत्नि गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1 गुरसेवक सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तह. संगरिया।
2 गगनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
3 सन्दीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
4 रमनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
5 सतवीर कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
6 इन्द्रजीत कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति मजहबी सा. बुगलांवाली तहसील संगरिया।
7 शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैक शाखा सादुलशहर तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया। –प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्रीनक्षत्र सिंह सिद्धू एड. वादीगण व गुरमीत सिंह कलसी एड. प्रति सं. 1 ता 6 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण मुताबिक अर्जीदावा डिग्री किया जाताहै कि चक 27 ए.एम.पी. खाता सं. 45 / 47 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 610 दिनांक 3–5–18 ज.सं. 2068–71 में तथा चक 25 / 1 ए.एम.पी. खाता स. 44 / 109 खाता दर्शन सिंह वगैरा में जरिये इन्तकाल सं. 674 दिनांक 3–5–2018 ज.सं. 2069–72 में प्रति सं.1 के नाम दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार वादी ऋशु पुत्र गुरसेवक सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त आराजी में से प्रति सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज....निल....मुब्लिक.....निल...बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी—उम्मेदसिह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—186 / 2019
राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

1 धर्मजीत सिह पुत्र सुखविन्द्र सिह पुत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. वार्ड नः 8 अजीत रोड बठिण्डा तह. व जिला बठिण्डा (पंजाब)
2 सुखवन्त सिह पुत्र सुखेदव सिह जाति जटसिख सा. टाहलीवाला जटां तह. फाजिल्का (पंजाब)

वादीगण

बनाम

1 सुखविन्द्र सिह पुत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख
2 रजवन्त कौर पुत्री सुखविन्द्र सिह सा. टाहलीवाला जटां
3 सरबजीत कौर पुत्री सुखविन्द्र सिह तह. फाजिल्का (पंजाब)
4 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थितः— 1. श्री नक्षत्र सिह सिद्धु एडवोकेट वादीगण
2. श्री गुरमीत सिह कलसी प्रतिवादी संख्या 2 व 3

निर्णय दिनांकः—

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के
आधार पर पे ा किया गया कि वादीगण एवं. प्रति स. 1 ता 3 एक ही परिवार के
सदस्य है।जिनके परिवार की वं ावली दावा की दफा 2 में दर्ज है। सुखदेव सिह पुत्र
अमर सिह के नाम चक 1 आर.आर.डब्लयु. खाता स. 74 / 70 खाता सुखदेव सिह वगैरा
ज.स. 2068— 71 में 1.584 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सुखदेव सिह पुत्र अमर
सिह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी तमाम चल व अचल सम्पति की वसीयत अपने
पुत्र सुखवन्त सिह व पौत्र धर्मजीत सिह के नाम दिनांक 6—9—2016 को रोबरू गवाहान

सब रजिस्टार बठिण्डा के समक्ष तहरीर व तकमील करवाकर रजिस्टड करवा दी थी
इसलिए मुताबिक वसीयत दिनांक 6–9–2016 चक 1 आर.आर.डब्लयु खाता स. 74/70 खाता सुखदेव सिह वगैरा के हिस्सा की समस्त आराजी के वादीगण ही ब
हि.ब. के हकदार है।इसमें प्रति स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नही है।दफा 3
में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने
के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण

ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी
का वादीगण को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार का तकार होना मान लो व
इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले
तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस
निवेदन से स्पश्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।
उक्त वाद पे ा होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज
रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये ।प्रति
स. 2 व 3 ने सहमति का जवाब दावा पे ा किया।जो भाामिल पत्रावली किया गया
प्रति स. 4 की ओर से जवाब स्टेट पे ा हुआ जो भाामिल मिसल किया गया।प्रति
स. 1 के बावजूद तामील हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय
कार्यवाही की गई साक्ष्य वादी में वादी धर्मजीत सिह का भापथ पत्र आदे ा 18
नियम 4सी.पी.सी.पे ा किया गया जो भाामिल मिसल किया गया तथा वादी की ओर
से प्रस्तुत दस्तावेजो में प्रद ं 1 सुखदेव सिह की वसीयत व प्रद ं 2 जमाबन्दी
चक 1आर.आर. डब्लयु खाता 74/70ज.स. 2058–71 एवं प्रद ं 3 में कुर्सीनामा
सुखदेव सिह व प्रद ं 4 में मृत्यु प्रमाण पत्र सुखदेव सिह पे ा है।दस्तावेजी साक्ष्य
मे नकल जमाबन्दीया पे ा है।साक्ष्य के आधार पर वाद वादीगण डिग्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। वकील वादीगण
द्वारा पे ा दस्तावेजों से पैंतृक सम्पति साक्ष्य साबित है। पक्षकारों में आपसी सहमती
होने से तनकीयात कायम किया जाने की आव यकता नही है।अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद वादीगण काबिल स्वीकार होने से डिग्री किया
जाता है।

क्रियात्मक आदे ा

वाद वादीगण मुताबिक सं ोधित अर्जीदावा डिग्री किया जाता है कि सुखदेव
सिह पुत्र अमर सिह के नाम दर्ज चक 1 आर.आर.डब्लयु. खाता स. 74/70 खाता
सुखदेव सिह वगैरा ज.स. 2068– 71 में 1.584 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.. ब. के
खातेदार का ताकर है।अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद किया जाकर उक्त आराजी में से सुखदेव सिह पुत्र अमर सिह का नाम कलमजन किया जावे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसला
भ्ाुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। यह आदे ा मेरे द्वारा आज दिनांक
को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक
कलक्टर,संगरिया

`

डिगरी एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत–श्री उम्मदेसिह रतनू आर.ए.एस.

1 धर्मजीत सिह पुत्र सुखविन्द्र सिह पुत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. वार्ड नः 8 अजीत रोड बठिण्डा तह. व जिला बठिण्डा (पंजाब)
2 सुखवन्त सिह पुत्र सुखेदव सिह जाति जटसिख सा. टाहलीवाला जटां तह. फाजिल्का (पंजाब)

वादीगण

बनाम

1	सुखविन्द्र सिह पुत्र सुखदेव सिह	जाति जटसिख
2	रजवन्त कौर पुत्री सुखविन्द्र सिह	सा. टाहलीवाला जटां
3	सरबजीत कौर पुत्री सुखविन्द्र सिह	तह. फाजिल्का (पंजाब)
4	तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया	

प्रतिवादीगण

मु. स . 186 / 2019 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री
नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादीगण व गुरमीत सिह कलसी एड. प्रति स. 2 व 3 पेश
होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण मुताबिक अर्जीदावा डिग्री किया जाता
है कि सुखदेव सिह पुत्र अमर सिह के नाम दर्ज चक 1 आर.आर.डब्लयु. खाता स.
74 / 70 खाता सुखदेव सिह वगैरा ज.स. 2068– 71 में 1.584 है0 आराजी के वादीगण
ब.हि..ब. के खातेदार का ताकर है।अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड
में अमल दरामद किया जाकर उक्त आराजी में से सुखदेव सिह पुत्र अमर सिह का नाम
कलमजन किया जावे।
नोटः– अगर बैक रहन है तो बैंक रहन फक होने के बाद राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद हो।निज..... मुब्लिक..... बाबत..... ..खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी
तक ..... को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक..... को जारी
की गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 17:15:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: